सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी–221002

2015 वर्षीय शिक्षाशास्त्री / शिक्षाचार्य / ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान शास्त्री / पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के आनलाईन परीक्षावेदनपत्र भरने हेतु महाविद्यालयों / अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक–निर्देश

1. निम्नलिखित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की निदर्शिका के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन–पत्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।
2. सभी प्रविष्टियों को भरा जाना अनिवार्य है।
3. आनलाईन परीक्षावेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद परीक्षावेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं खुलेगा।
4. महाविद्यालय / परीक्षार्थी अन्तिम तिथि के पूर्व ही अपना परीक्षावेदन–पत्र भरा जाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थी अपने नाम, माता नाम, पिता नाम तथा जन्म तिथि को पूर्वमध्यमा / हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार ही अंकित करें। महाविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है।
6. **माता नाम तथा पिता नाम के पूर्व श्री / श्रीमती अथवा अन्य कोई शब्द अंकित न करें। मात्र पूर्वमध्यमा / हाईस्कूल / समकक्ष परीक्षा के प्रमाण–पत्र के अनुसार वास्तविक नाम ही प्रविष्ट करें।**
7. परीक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्कैन किया गया छायाचित्र (Photograph) JPEG / JPG File Format में, जो 50 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
8. परीक्षार्थी का स्कैन किया गया हस्ताक्षर JPEG / JPG File Format में, जो 20 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
9. परीक्षावेदन–पत्र भरते समय Submit / सुरक्षित करने के पश्चात स्क्रीन (Screen) पर दिये गये नियंत्रण संख्या (Control number) को कहीं अंकित कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें।
10. परीक्षावेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर महाविद्यालय स्तर पर ही निर्धारित अवधि में इसका सुधार सम्भव है।
11. राज्य, जिला, महाविद्यालय नाम एवं विषय के चयन / प्रविष्टि में विशेष सावधानी बरतें।
12. विषयों का चयन, विश्वविद्यालय की निदर्शिका के अर्हता नियमों तथा महाविद्यालय की विषय मान्यता के अनुसार ही करना अनिवार्य है।
13. परीक्षा शुल्क ई–चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जाएगा।

14. महाविद्यालयों हेतु शिक्षाशास्त्री के संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए, महाविद्यालय द्वारा अपने Login तथा Password के माध्यम से ई–चालान विकल्प द्वारा ई–चालान का निर्माण करके 24 घण्टे बाद इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा।
15. परीक्षा शुल्क जमा करने के 24 घण्टे बाद महाविद्यालय अपने Login के द्वारा ई–चालान में अंकित Transaction ID को अपडेट करते हुए चालान में वर्णित छात्र संख्या एवं तद्नुसार जमा किये शुल्क के सापेक्ष उपलब्ध परीक्षावेदनपत्रों को भरवा सकेगा।
16. परीक्षावेदनपत्रों को भरने एवं प्रविष्टियों के सुधार के अंतिम तिथि के बाद महाविद्यालय अपने Login के माध्यम से परीक्षार्थियों की नामावली को मुद्रित कर सकेगा।
17. ई–चालान की तीन प्रतियां होगी। एक प्रति बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा दूसरी महाविद्यालय प्रति महाविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय प्रति को मुद्रित परीक्षावेदनपत्रों एवं नामावली के साथ निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
18. परीक्षावेदनपत्रों को अर्हता परीक्षा प्रमाण पत्रों/अंकपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों, पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं छात्र–नामावली तथा ई–चालान की विश्वविद्यालय प्रति के साथ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
19. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परीक्षार्थियों के लिए परीक्षावेदनपत्रों के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति–प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
20. पूर्व परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, विषय तथा परीक्षा–संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
21. अग्रसारित करने वाले प्रधानाचार्य/अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूरित एवं त्रुटिरहित है तथा आवेदन पत्र में अंकित छात्र/छात्रा नाम, पिता नाम, माता नाम उसके हाईस्कूल अथवा तत्समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम से भिन्न न हों, भिन्नता की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को निर्धारित संशोधन शुल्क देय होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्र कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारण करने वाले अधिकारी का ही होगा।
22. परीक्षावेदनपत्र के अपूर्ण होने, अर्हता संदिग्ध होने एवं आवश्यक सूचना अंकित न होने एवं पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र संलग्न न होने की स्थिति में परीक्षावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नही होगा।
23. **शिक्षाशास्त्री** के ऐसे संस्थागत छात्र जो परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण हो चुके हैं तथा बैक पेपर के अर्ह नही हैं, वे अगले सत्र में संस्थागत परीक्षार्थी नही होगें। इस प्रकार के छात्र भूतपूर्व छात्र (Ex Student) के रूप में अगले दो वर्ष तक ही परीक्षावेदन पत्र भर कर परीक्षा में प्रविष्ट हो सकेंगें।

24. **(i) शिक्षाशास्त्री** का ऐसा संस्थागत छात्र जिसने कक्षीय व्याख्यानों में 75 प्रतिशत उपस्थिति अर्जित नही किया है वह शिक्षाशास्त्री की सम्पूर्ण परीक्षा से बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

(ii) यदि भविष्य में वह अभ्यर्थी 3 तीन मास शुल्क देकर आकस्मिक छात्र के रूप में शिक्षाशास्त्री की कक्षा में उपस्थित रहता है और पुनः 50 पाठों का वास्तविक कक्षा शिक्षण अभ्यास तथा अन्य निर्धारित सत्रीय एवं अन्य कार्यों को पूरा करता है तो वह परीक्षा जिसमें बहिष्कृत किया गया था, दो वर्षों के भीतर परवर्ती परीक्षा में (भूतपूर्व छात्र के रूप में) बैठने की अनुमति उसे विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति से प्राप्त हो सकती है।

25. **(i) शिक्षाचार्य** में अनुत्तीर्ण अथवा असम्मिलित छात्र उसकी अगली परीक्षा में बैठने से वंचित नहीं होंगे। किन्तु ऐसे छात्रों को परीक्षा शुल्क सहित नया आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। उनके लिए इस पाठ्यक्रम का अध्ययन पुनः नियमित छात्र के रूप में नहीं करना होगा और न पुनः नवीन लघु शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करना होगा। उनके लिए पूर्व सत्र में प्रस्तुत लघु शोध का प्राप्तांक अगली परीक्षा का प्राप्तांक माना जायेगा। परीक्षा में असम्मिलित छात्र उसी अवस्था में अगले वर्ष परीक्षा दे सकेगा जब उसकी उपस्थित 75 प्रतिशत हो अन्यथा उसे 3 माह का शिक्षण शुल्क तथा 3 माह का नियमित अध्ययन करना आवश्यक होगा। बिना उपयुक्त कारण के अनुपस्थित छात्र का प्रवेश निरस्त हो जायेगा। उसे अगली परीक्षा देने की अनुमति नहीं होगी।

(ii) शिक्षाचार्य परीक्षा में किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः एक विषय की परीक्षा अगले सत्र में दे सकता है। यदि छात्र ने सम्बद्ध विषय में न्यूनतम 25 प्रतिशत अंक तथा कुल योग में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो। अन्य अनुत्तीर्ण छात्रों को यह सुविधा नहीं मिलेगी।

26. 2014 वर्षीय परीक्षा में प्रविष्ट संस्थागत छात्र ही बैक पेपर/श्रेणी सुधार का परीक्षावेदन पत्र भर सकेगें।
27. बैक/श्रेणी सुधार का परीक्षावेदन पत्र मात्र एक प्रश्न पत्र हेतु अनुमन्य है।
28. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व छात्रों के परीक्षावेदनपत्र उसी महाविद्यालय से अग्रसारित किए जाएगें जिस महाविद्यालय से परीक्षार्थी संस्थागत छात्र रहा है।
29. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व परीक्षार्थी आनलाईन पद्धति से परीक्षावेदनपत्र भरते समय अपने परीक्षा शुल्क के लिए वेब साइट ssvvonline.in के होम पेज से ई–चालान मुद्रित करेगें।
30. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व परीक्षार्थियों द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क को ई–चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में ई–चालान उत्पन्न करने के 24 घण्टे बाद जमा किया जाएगा।
31. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने के 24 घण्टे बाद ई–चालान में अंकित Transaction ID को अपडेट एवं परीक्षावेदनपत्र की सभी प्रविष्टियों को वेब साइट ssvvonline.in के होम पेज पर पूर्ण करते हुए परीक्षावेदनपत्र को मुद्रित कर सकेगा।

32. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व परीक्षार्थी अपने मुद्रित परीक्षावेदन पत्र के साथ ई–चालान की विश्वविद्यालय प्रति, सभी अर्हता परीक्षा के अंकपत्रों/प्रमाणपत्रों तथा पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति को संलग्न करते हुए निर्धारित तिथि के अंदर अग्रसारण महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करेंगें।
33. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व परीक्षार्थियों के परीक्षावेदनपत्रों के भरने के अंतिम तिथि एवं आनलाईन वेरीफिकेशन के बाद महाविद्यालय अपने Login के माध्यम से परीक्षार्थियों की नामावली को मुद्रित कर सकेगा।
34. बैक/श्रेणी सुधार तथा भूतपूर्व परीक्षार्थियों के परीक्षावेदनपत्रों को अर्हता परीक्षा प्रमाण पत्रों/अंकपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों, हाईस्कूल/समकक्ष प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं छात्र–नामावली तथा ई–चालान की विश्वविद्यालय प्रति को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अग्रसारण महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
35. परीक्षा सम्बन्धी कोई भी वाद "उच्चन्यायालय, इलाहाबाद" में ही प्रस्तुत किया जायेगा।
36. किसी भी प्रकार भी समस्या होने पर हेल्पलाइन 0522–4150500 पर सम्पर्क करें।

परीक्षा–शुल्क विवरण वर्ष–2015

शिक्षाशास्त्री (महाविद्यालयीय संस्थागत छात्र)	1500/- प्रति छात्र
शिक्षाशास्त्री (भूतपूर्व छात्र)	2100/- प्रति छात्र
शिक्षाशास्त्री (बैक/श्रेणी सुधार)	500/- प्रति छात्र
शिक्षाचार्य (भूतपूर्व छात्र)	2600/- प्रति छात्र
शिक्षाचार्य (बैक/श्रेणी सुधार)	500/- प्रति छात्र
ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान शास्त्री(भूतपूर्व छात्र)	1100/- प्रति छात्र
ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान शास्त्री(बैक/श्रेणी सुधार)	500/- प्रति छात्र
पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान स्ना0 डिप्लोमा(भूतपूर्व छात्र)	1000/-प्रति छात्र
पुरातत्व एवं संग्रहालय विज्ञान स्ना0 डिप्लोमा(बैक/श्रेणी सुधार)	500/- प्रति छात्र